हमारी कामवाली बाइयां

डॉ. राम प्रताप गुप्ता

देश में बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के साथ उच्च वर्ग और उच्च वर्ण की महिलाएं शिक्षा की ओर आकर्षित हुईं। कुछ अवधि के पश्चात मध्यमवर्गीय महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करने लगीं। शिक्षा के साथ-साथ समाज में जेंडर सम्बंधों में भी परिवर्तन आने लगा और महिलाएं घर के बाहर जाकर काम करने लगी, किन्तु बाहर रोज़गार के बावजूद और परिवार की आय में योगदान के बावजूद उन्हें घरेलू कार्यों और दायित्वों से मुक्ति नहीं मिल सकी। उन्हें घर की साफ-सफाई, खाना बनाना, बच्चों को तैयार कर स्कूल भिजवाना आदि काम करने ही पड़ते हैं, ऑफिस की थकान के बावजूद। इन परिस्थितियों और परिवार की बढ़ी हुई आय के फलस्वरूप घरेलू कार्यों में सहायता हेतु महिलाओं की मांग बढ़ने लगी। उच्च आय वाले परिवार पूर्ण कालिक नौकर भी रखने लगे, परन्तु अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों में घरेलू काम के लिए अंशकालिक घरेलू कामगारों, मुख्यतः महिलाओं की मांग होने लगी।

दूसरी ओर, मशीनीकृत उत्पादन से प्रतियोगिता न कर पाने से ग्रामीण कुटीर उद्योगों में कार्यरत कारीगर बेकार हो गए। हरित क्रांति और कृषि में मशीनों के बढ़ते उपयोग के कारण कृषि श्रमिकों की मांग में भी कमी आ गई। नए वन कानूनों के अंतर्गत वनवासियों के लिए आजीविका के लिए वनोपज पाना कठिन हो गया। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि श्रमिकों और वनवासियों का बड़ी संख्या में रोज़गार हेतु प्रवास होना ही था। रोज़गार की तलाश में शहरों में जाने वाले ये लोग न तो शिक्षित होते थे और न ही किसी मशीनीकृत उत्पादन में प्रवीण। ये अकुशल श्रमिक के रूप में ही कार्य कर सकते थे जहां मज़दूरी की दरें इतनी अधिक नहीं होती थी कि वे शहरों के बढ़े हुए खर्च की पूर्ति कर सकें। ऐसे में परिवार की महिलाओं के लिए भी कुछ कार्य कर आय प्राप्त करना आवश्यक हो गया। इस हेतु घरेलू श्रमिक के रूप में बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, शिशुओं की देखभाल, खाना बनाना जैसे अंशकालीन कार्य सबसे उपयुक्त थे। इनका समय वे अपनी सुविधा के अनुरूप निर्धारित भी कर सकती थीं, अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ तालमेल बैठा सकती थीं।

घरेलू काम करने वाली बाइयां एक परिवार में नहीं कई परिवारों में काम करती हैं। अनेक परिवारों में काम करने से उन्हें एक तरह से सुरक्षा प्राप्त होती है। एक परिवार से काम बंद होने के बावजूद वे पूरी तरह बेरोज़गार नहीं होती है।

अफसोस है कि श्रम करके आजीविका अर्जित करने के बावजूद उन्हें श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाली सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है। अतः उन्हें कभी भी बिना नोटिस के हटाया जा सकता है। अगर वे बीमार पड़ जाती हैं, मातृत्व अवकाश पर जाती हैं या अन्य किसी कारणवश काम पर उपस्थित नहीं हो पाती हैं तो उनका वेतन काट लिया जाता है। उन्हें सेवानिवृत्ति पर संगठित क्षेत्र में कार्य करने वालों को मिलने वाली सुविधाओं जैसी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में अधिकांश काम वाली बाइयां बुढ़ापे में भी काम करने को मजबूर होती हैं।

घरेलू काम करने वाली बाइयां अनेक बीमारियों, अनेक चर्म रोगों की शिकार हो जाती हैं। बर्तन साफ करने वाली बाइयों को एक्ज़ीमा, झाड़ू पोछा वाली बाइयों को झुककर काम करने के कारण घुटनों का गठिया, परिवारों में हो रही बीमारियों से छूत की बीमारी आदि का शिकार बनना पड़ता

है। परिणामस्वरूप उन्हें अपनी आय का बड़ा भाग इलाज पर खर्च करना पड़ता है। चूंकि उनके लिए अस्पताल जाने और लम्बी कतार में खड़े होकर डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं होता है अतः वे किसी झोला छाप डॉक्टर से ही इलाज करवाती हैं। प्रायः अपनी बीमारियों का उपयुक्त इलाज न करने की बाध्यता के कारण कई बार ज़िन्दगी भर बीमारी को ढोना पड़ता है।

इसके परिणामस्वरूप वे जल्दी वृद्ध हो जाती हैं और शीघ्र मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। अल्प आय की पृष्ठभूमि में किसी आकस्मिक खर्च की पूर्ति हेतु ये कोई बचत भी नहीं कर पाती हैं। ऐसे में कर्ज़ लेना इनकी बाध्यता हो जाती है जो ये प्रायः उन्हीं परिवारों से लेती हैं जहां काम करती हैं। कुछ ऋण प्रदान करने वाले इस ऋण के बदले लम्बे समय तक काम लेते ही रहते हैं, अशिक्षित होने के कारण वे कुछ हिसाब नहीं रख पाती हैं।

यहां यह भी प्रश्न उठता है कि भारत में घरेलू कार्य करने वाली बाइयों की संख्या कितनी है? सुश्री रजनी पालरीवाला और एन.नीता के अनुसार सन 2009 में भारत में घरेलू कामगारों (पुरुषों सहित) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 25 लाख के करीब थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (सन 2005) के अनुसार घरेलू कामगारों की संख्या 42 लाख थी। कुछ गैर सरकारी संगठनों और मीडिया के अनुसार तो भारत में घरेलू कामगारों की संख्या 90 लाख है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2011) के अनुसार सरकारी अनुमानों और अन्य संस्थाओं द्वारा घरेलू कामगारों के बारे में अनुमानों में भारी अंतर होना स्वाभाविक ही है। इनकी घरेलू कामगार की परिभाषा भी भिन्न-भिन्न होती है। चूंकि अधिकांश घरेलू कामगार महिलाएं ही होती हैं, अनुमान है कि कुल रोज़गार प्राप्त महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत घरेलू कामवाली बाइयां ही होती हैं।

समय के साथ-साथ घरेलू काम हेतु नए उपकरण आते जा रहे हैं। जैसे वॉशिंग मशीनें, रसोई में प्रयुक्त उपकरण, ऑटोमेटिक झाड़ू। इनके अलावा खाद्य वस्तुओं के प्रसंस्करण, तैयार खाद्य पदार्थ के बढ़ते उपयोग से भी काम वाली बाइयों की मांग कम होती जा रही है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि अब इन सब उपकरणों का उपयोग करने वाली बाइयों की मांग तो बढ़ेगी, परन्तु कुल संख्या प्रतिकूल प्रभावित संख्या से कम ही होगी।

काम वाली बाइयों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रयास करने का नाटक तो कई बार किया गया है। सर्वप्रथम, घरेलू कामगारों के हित रक्षार्थ एवं सेवा शर्तों के बारे में लोक सभा में सन 1959 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था जिसमें इन्हें मातृत्व अवकाश, समान वेतन आदि का प्रावधान था परन्तु यह विचारार्थ प्रस्तुत ही नहीं किया। वर्तमान में केवल महाराष्ट्र में इनके हितों की रक्षार्थ एक आधा-अधूरा कानून है।

घरेलू कामगारों को संगठित करने के प्रयास लम्बे समय से चल रहे हैं। सबसे प्रथम प्रयास तो चर्च से सम्बंधित संगठनों द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय श्रम संघों ने घरेलू कामगारों को संगठित करने के प्रयास किए हैं। हिन्द मज़दूर सभा लम्बे समय से घरेलू कामगारों को संगठित करने का प्रयास कर रही है। स्वयं घरेलू कामगार भी इस दिशा में आगे आए हैं। वे अपने संगठन के माध्यम से कार्य की दशाओं में सुधार तथा सामाजिक सुरक्षा की मांग करती रही हैं। महाराष्ट्र में काफी काम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी इस दिशा में प्रयास किए हैं, फिर भी अधिकांश घरेलू कामगारों का संगठित होना शेष है।

भविष्य में घरेलू काम का भविष्य अच्छा प्रतीत नहीं होता है। घरेलू कामों में यंत्रों के उपयोग, तैयार भोजन की उपलब्धि आदि के कारण घरेलू कामगारों की मांग कम होने की आशा है। काम वाली बाइयों के लिए कुछ नए काम, जैसे वृद्धों की देखभाल आदि बढ़ सकते हैं। केरल जैसे राज्य में घरेलू कामगारों का अन्य राष्ट्रों, विशेषकर अरब राष्ट्रों में प्रवास हुआ है। कुल मिलाकर घरेलू कामगारों की स्थिति आज भी दयनीय है, उनके लिए समय पर इलाज करवाना, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना असंभव ही है। ***(स्रोत फीचर्स)***